

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 2(1)साप्र/2/16

जयपुर, दिनांक : 15/5/2017

—: आदेश :—

श्री अखिलेश कुमार (आईपीएस), पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयता संख्या 24/2017 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2025 है, के आधार पर उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या 302, मॉडल टाउन, जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 10(viii) A के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
10. श्री अलिखेश कुमार (आईपीएस), पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर से कॉमन सुविधा राशि रूपये 300/- (अक्षरे रूपये तीन सौ रूपये मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

SC
(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया कटोती को सुनिश्चित करावें।
2. जिला कलक्टर, जयपुर/सीकर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
4. आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-1)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. श्री अखिलेश कुमार (आईपीएस), पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटोती को सुनिश्चित करावें।
8. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. अधिशासी अभियन्ता, साठनिविंवि०/जन स्वा० अभि० विं०/जयपुर विंविंनिगम लिं०, गांधीनगर, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौदीनगर/हीराबाग, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चाप्सा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को भी भेजवावें।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली

L.
संयुक्त शासन सचिव